

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश (षष्ठम संशोधन) ::

क्रमांक: 34 /एक-2-2/85

दिनांक: 19.09.2025

मैं, संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया पूर्व में प्रभावशील कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 07/एक-2-2/85 दिनांक 28.02.2025 तत्पश्चात् जारी संशोधित आदेश 14/एक-2-2/85 दिनांक 22.04.2025, 24/एक-2-2/85 दिनांक 09.06.2025 तथा 26/एक-2-2/85 दिनांक 28.06.2025 के अनुक्रम में निम्नानुसार नवीन संशोधित आदेश के खण्ड "स" के सरल क्रमांक 7 में उप कण्डिका 7 का समायोजन कर कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2025 का पुनर्नियोजन करता हूँ। अतः नवीनस्थापन अनुरूप निम्नानुसार संशोधन (पुनर्स्थापन) पढ़ा जावे-

खण्ड - स
"सत्र न्यायालयों का कार्य विभाजन"

क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
7.	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेंवड़ा सह विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)	7. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न सत्र न्यायालय द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत विचारण योग्य ऐसे समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्र जिनका उल्लेख वर्ष 2025 के लिये प्रभावशील कार्यविभाजन पत्रक में नहीं है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जावे।

स्थान : दतिया।

Sd/-
(संजीव श्रीवास्तव)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

पृष्ठंकन क्रमांक : 2233 (4) /एक-2-2/85

दिनांक: 19.09.2025

प्रतिलिपि :

1. प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेंवड़ा की ओर संशोधित कार्य विभाजन पत्रक (षष्ठम संशोधन) वर्ष 2025 की प्रति वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
2. प्रवर्तन लिपिक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग दतिया की ओर संशोधित कार्य विभाजन पत्रक (षष्ठम संशोधन) वर्ष 2025 की प्रति जेएसए के माध्यम से जिला न्यायालय दतिया की वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।
4. अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ सेंवड़ा की ओर संशोधित कार्य विभाजन पत्रक (षष्ठम संशोधन) वर्ष 2025 की प्रति वास्ते सूचनार्थ एवं समस्त अधिवक्तागण को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।

Sd/- 19/9/25
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)